

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

F.No 234/1409/HFW/QC/2023/368

दिनांक:- 21/03/2025

सेवा में,

श्रीमान उप-सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली-110054

विषय : आठवीं विधानसभा का द्वितीय सत्र (बजट सत्र-2025), माननीय विधायक श्री विशेष रवि द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 30 दिनांक 24.03.2025 के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

यह पत्र उपरोक्त संदर्भित आपके ई-मेल दिनांकित 15.03.2025 के संदर्भ में प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्त के संदर्भ में इस पत्र के साथ माननीय विधायक श्री विशेष रवि द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 30 का उत्तर निर्धारित प्रारूप में (100 प्रतियां) आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

यह उत्तर मा० मंत्री महोदय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, दिल्ली सरकार के अनुमोदन से प्रेषित किया गया है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार (100 प्रतियां)

भवदीय

जि.बी. कपिल

उप-सचिव (प्र०शा०)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
J.B. KAPIL
Dy. Secy. (H&FW)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या : 30
दिनांक : 24.03.2025
प्रश्नकर्ता का नाम : मा0 विधायक श्री विशेष रवि
क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि एनसी जोशी अस्पताल में न्यू ओपीडी ब्लॉक काफी दिन से बनकर तैयार है और पब्लिक के लिए अभी तक चालू नहीं किया गया है,,	नहीं यह सत्य नहीं है। डॉ. एन.सी. जोशी मैमोरियल हॉस्पिटल में किसी तरह के न्यू ओपीडी ब्लॉक का निर्माण नहीं हुआ है, यद्यपि एनसी जोशी अस्पताल के अंतर्गत पॉलीक्लीनिक का नवीनीकरण हुआ है जो कि अस्पताल से 60 से 70 मीटर की दूरी पर है, उसका नवीनीकरण कार्य पूर्ण हो गया है और नया इलेक्ट्रिक मीटर लगाने की कार्रवाई चल रही है जो कि जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।
ख	यदि हां, तो कारण बताएं तथा यह ओपीडी ब्लॉक कब तक चालू कर दिया जाएगा	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
ग	क्या यह सत्य है कि एनसी जोशी अस्पताल में रेबीज इंजेक्शन नहीं लगाया जाता	नहीं, यह सत्य नहीं है। एन.सी. जोशी अस्पताल में रेबीज इंजेक्शन (ए.आर.वी.) लगाया जाता है।
घ	यदि हां, तो कृपया कारण बताएं और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम बताएं, और	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
ङ	यह सुविधा अस्पताल में कब तक उपलब्ध हो जाएगी?	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।

हस्ताक्षर
J.B. KAPIL
उप-सचिव (प्र.शा.)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
J.B. KAPIL
Dy. Secy. (H&FW)